

एईआरबी

ई-न्यूजलैटर

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद



www.aerb.gov.in

जुलाई – सितंबर 2018



एईआरबी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयनीकारक विकिरण तथा नाभिकीय ऊर्जा के कारण लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को किसी भी प्रकार का अवांछित जोखिम न हो।

इस अंक में

अध्यक्ष की कलम से	2
संरक्षा समीक्षा तथा नियमन	4
आईईए के साथ पारस्परिक अनुसंधान	5
'मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गर्वनेंस' के लिए उठाए गए कदम	5
यूएसएनआरसी के साथ द्विपक्षीय सहयोग	6
परिचर्चा सम्मेलन	
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	8
होम पेज	9



अध्यक्ष की कलम से

मानसून के गुजर जाने के पश्चात नीले आसमान को उसकी संपूर्ण आभा के साथ देखना कुदरत के एक कायाकल्प को निहारने जैसा लगता है। इस समय यह आसमान नई आशाओं से भरा हुआ तथा और अधिक उज्ज्वल पथ के लिए प्रतिबद्ध लगता है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक बेहतर कल के लिए हमें भी खुद को संकल्पित करने और थोड़ा सा योगदान करने की आवश्यकता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद इस दिशा में सचेत प्रयास कर रहा है। एक संगठन के रूप में हमने अपनी सभी गतिविधियों का गहराई से आत्मावलोकन किया है और उन क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें समाज को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए और अधिक संवर्धित करने या बढ़ाने की आवश्यकता है।


जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध एक प्राधिकरण के रूप में, हम 'मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' की ओर ठोस कदम उठा रहे हैं, उनमें से उल्लेखनीय है विकिरण अनुप्रयोगों के लिए वेब आधारित लाइसेंसिंग सिस्टम, रेग्यूलेटरी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, वेबसाइट को संशोधित करते हुए इसे अधिक जानकारीपूर्ण तथा यूजर फ्रेंडली बनाना, वेबसाइट के माध्यम से सीधे तौर पर बातचीत के लिए स्टेकहोल्डरों को अवसर प्रदान करना, अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ रेग्यूलेटरी इंटरफेस को मजबूत करना, तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य।

पब्लिक डोमेन में विकिरण संरक्षा के लिए, हम विकिरण के उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस उद्देश्य के लिए, डेडिकेटेड रेडिएशन सेफ्टी कैम्पिंग योजनाएँ शुरू की जा रही हैं। एक और क्षेत्र जिस पर आईआरबी ध्यान केंद्रित कर रहा है वह है न्यूक्लियर गतिविधियों के दौरान इमरजेंसी की तैयारी और रिस्पॉन्स। इमरजेंसी कार्य स्तर पर जोर देने के साथ कुछ एनपीपी में टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किए गए थे। इससे इमरजेंसी की स्थिति, विशेषकर आरंभिक परिस्थितियों में इमरजेंसी मैनेजरों के निर्णय लेने के लिए टूल्स डवलप करने हेतु एक आधार मिला है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम निरंतर अपने उन सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनके साथ हमने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अनुबंध किये हैं। इसके अलावा नए देशों के साथ सहयोग की शुरुआत भी की गई है जैसे कि बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी अथॉरिटी। आईआरबी ने कन्वेन्शन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी (सीएनएस) की अनुबंध पार्टियों की सातवीं समीक्षा मीटिंग के लिए भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व भी किया।

ईआरबी में हमारा ध्यान हमारे कुशल तथा सक्षम कार्मिकों की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने पर रहा है। इस उद्देश्य के साथ हमने अपने संगठन में कुछ बड़े संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। हमने इण्टीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपनाया है जो कि 'सेफटी के लिए लीडरशिप व मैनेजमेंट' के संबंध में आईईए के वर्तमान स्टैंडर्ड के अनुरूप है।

अपने संसाधनों को संरक्षित करने के उद्देश्य से तथा अपनी सरकार के 'डिजिटल इण्डिया' अभियान के एक भाग के रूप में हमने निर्णय लिया है कि न्यूजलैटर का प्रकाशन न करके इसे प्रत्येक तिमाही में 'ई-न्यूजलैटर' के रूप में प्रकाशित करेंगे। मैं इस न्यूजलैटर से जुड़ी हुई टीम को इसके प्रकाशन पर बधाई देता हूँ। यह ई-न्यूजलैटर की शरंखला में पहला न्यूजलैटर है तथा आपके अमूल्य सुझावों व परतिक्रियाओं के आधार पर हमें इसमें और अधिक सुधार करने में खुशी होगी।


शिव कामलाश भारद्वाज

(एस.ए. भारद्वाज)

नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं के लिए सहमति

- एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 तथा फैक्टरी एक्ट, 1948 के तहत जारी नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन (एनएपीएस) के ऑपरेटिंग लाइसेंस का 30 जून 2023 तक के लिए नवीनीकरण किया गया। ये लाइसेंस क्रमशः 30 जून, 2018 तथा 12 जुलाई 2018 तक वैध थे। लाइसेंस का नवीनीकरण फेसिलिटी के बहु-स्तरीय संरक्षा समीक्षा तथा संस्तुतियों के आधार पर किया गया।
- फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) तथा इण्ट्रम फ्यूल स्टोरेज बिल्डिंग के लाइसेंस 30 जून 2023 तक के लिए नवीनीकृत किए गए, ये लाइसेंस 30 जून 2018 तक वैध थे। लाइसेंस का नवीनीकरण फेसिलिटी के विस्तृत संरक्षा समीक्षा तथा संस्तुतियों के आधार पर किया गया।
- संतोषजनक समीक्षा के आधार पर, ईईआरबी ने 24 जुलाई 2018 को कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 5 व 6 के लिए पंप हाउस हेतु खुदाई की अनुमति प्रदान की।
- हैवी वाटर प्लांट - हजीरा को फैक्टरी अधिनियम-1948 के तहत जारी लाइसेंस की अवधि को 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2019 तक किया गया।
- काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट-1 के एक साथ कूलेंट चैनल बदलने की गतिविधि (ईएमसीसीआर) को पूरा करने पर ईंधन भरने की अनुमति प्रदान की गई।
- हैवी वाटर प्लांट तूतिकोरिन को फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत वर्सेटाइल सॉल्वेण्ट सिंथेसिस प्लांट (वीएसएसपी) फेसिलिटी के ऑपरेशन के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया।

काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन (केएपीएस) - 1 व 2 में प्रेशर ट्यूब लीकेज की घटना के मूल कारण के विश्लेषण का संरक्षा समीक्षा

केएपीएस-1 व 2 यूनिट में 11 मार्च 2016 तथा 01 जुलाई 2015 को कूलेंट चैनल में प्रेशर ट्यूब (पी.टी.) के लीक होने की घटनाएँ घटित हुई थीं। प्रभावित प्रेशर ट्यूब की प्रारंभिक जाँच में यह पुष्टि हुई कि ट्यूब की दीवार में बहुत सी दरारें थीं। प्रारंभिक जाँच के नतीजों के आधार पर ईईआरबी ने पी.टी. की विस्तृत जाँच हेतु योजना तैयार करने तथा कूलेंट चैनल लेक होने के मूल कारण जानने के लिए की जाँच को तेजी से पूरा करने को कहा है। प्रभावित प्रेशर ट्यूब को संयंत्र से हटा दिया गया है तथा इसे आगे की जाँच के लिए बीएआरसी की लेबोरेटरी को भेज दिया गया है। केएपीएस की पी.टी. पर जो कोरोजन स्पॉट देखे गए उनकी जाँच से CO₂ गैस में कुछ अशुद्धता का संकेत मिलता है जो कि केएपीएस यूनिटों के कूलेंट चैनलों के एनुलस गैस सिस्टम में प्रयोग की जाती है।

केएपीएस की घटना के पश्चात सावधानीपूर्वक उपायों के रूप में देश में स्थित अन्य पीएचडब्ल्यूआर संयंत्रों में पी.टी. का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों से इस बात की पुष्टि हुई कि स्थानिक कोरोजन फिनांमिना सिर्फ केएपीएस-1 व 2 रिएक्टरों तक ही सीमित था। अधिक सावधानी के रूप में ईईआरबी ने अन्य ऑपरेटिंग पीएचडब्ल्यूआर संयंत्रों को निर्देश दिए हैं कि एनुलस गैस सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड गैस की क्वालिटी एश्योरेंस जाँच की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

ईईआरबी बोर्ड ने केएपीएस-1 व 2 में प्रेशर ट्यूब के लीक होने की घटना के मूल कारण विश्लेषण पर पहुँचने के लिए इस घटना को रिव्यू किया तथा इसकी आर एण्ड डी स्टडी की गई। केएपीएस-1 व 2 यूनिटों में एक साथ कूलेंट चैनल बदलने की गतिविधियाँ की गईं। ये गतिविधियाँ केएपीएस-2 यूनिट में पूरी कर ली गई हैं तथा इनकी स्टार्ट अप गतिविधियों को भी ईईआरबी द्वारा रिव्यू किया गया। रिएक्टर ने दिनांक 17.09.2018 को 2:22 बजे क्रिटिकैलेटी प्राप्त की।



ईआरबी बोर्ड की बैठक

आईईए के साथ पारस्परिक अनुसंधान

आईईए ने 'प्रोबेबिलिस्टिक सेफ्टी असेसमेंट ऑफ मल्टी-यूनिट न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट्स – एन इण्टीग्रेटेड एप्रोच' शीर्षक से ईआरबी द्वारा प्रस्तावित को-ऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट (सीआरपी) में सहभागी होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इस सीआरपी का मुख्य उद्देश्य है एक कॉमन बेंचमार्क अभ्यास से ली गई सीख को डाक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत करना तथा मल्टी-यूनिट प्रोबेबिलिस्टिक सेफ्टी एनेलेसिस के लिए बेस्ट प्रैक्टिस गाइडेंस विकसित करना। प्रस्तावित बेंचमार्क अभ्यास ईआरबी तथा एनपीसीआईएल द्वारा संयुक्त रूप से चार वर्षों की अवधि में किया जाएगा।

'मिनिमम गवर्मेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस' के लिए उठाए गए कदम

- डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में अत्यधिक एक्सपोजर के गलत मामलों की रिपोर्टिंग को कम करने के लिए, सुरक्षा पोस्टर (अंग्रेजी और हिंदी) के साथ एक सूचनात्मक परिपत्र डीआर संस्थानों के बीच प्रसारित किया गया है, तथा इसे ईआरबी वेबसाइट पर भी डाला गया है।

टीएलडी का प्रयोग करने का उचित तरीका

1 क्या है टीएलडी बैज ?

टीएलडी बैज विकिरण मात्रा (डोज) ज्ञान के अभाव में इसे पहनना ही नहीं करना चाहिए है कि क्या यह व्यक्ति द्वारा विकिरण सुरक्षा मात्रा सीमा में कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

2 कैसा है टीएलडी बैज का प्रयोग ?

टीएलडी बैज को इस तरह से कैसा में डाल कर उपयोग करें।

3 लेबल ध्यान से टीएलडी बैज

कैसा के साथ टीएलडी बैज को फिर टीएलडी

4 टीएलडी को उपयोग के बाद क्यों रखें ?

विकिरण के क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं तब व्यक्तिगत टीएलडी बैज को उचित ढंग से विकिरण रक्षित स्थान पर रखें।

टीएलडी को एकत्रित कर / विकिरण क्षेत्र में न रखें / कूटनी क्षेत्र में न रखें / कूटनी

टीएलडी बैज को प्रयोग के बाद निम्नलिखित स्थानों में न रखें:

- विकिरण क्षेत्र में न रखें
- विकिरण क्षेत्र में न रखें
- विकिरण क्षेत्र में न रखें
- विकिरण क्षेत्र में न रखें

टीएलडी बैज के साथ विकिरण क्षेत्र में न रखें (उदाहरण - कार्बन का)

उपयोगी जानकारी

टीएलडी बैज को विकिरण क्षेत्र में न रखें।

टीएलडी बैज को विकिरण क्षेत्र में न रखें।

टीएलडी बैज को विकिरण क्षेत्र में न रखें।

टीएलडी बैज को विकिरण क्षेत्र में न रखें।

Radiological Safety in Open Field Industrial Radiography

- Always carry an open field radiography TLD badge when working in or near an uncontrolled area. Wear night time TLD badge.
- Always ensure that radiography device (radio isotope camera) is operated by certified radiographer under the supervision of Radiographer in Charge (RIG).
- Always wear a high-visibility workwear. Staff to control the exposure device.
- TLD badges should be worn by all radiation workers.
- Use working & calibrated survey meter appropriately at radiography site.
- Carry out field radiography with proper ventilation.
- Do not allow simultaneous operation of two or more radiography devices in same control area.
- Ensure proper illumination of radiography site.
- Ensure availability of emergency handling tools, e.g. remote handling tools, emergency secure storage container & lead interlocks at the site.
- During setup, retract the drive cable and the guide tube of the gamma exposure device and the control cable of the X-ray machine adequately.
- Properly cover-off the area of open field radiography camera after. Ensure to display warning sign in working place.
- Ensure to provide warning light toward the controlled area during radiation exposure.
- Do not allow anybody to enter the controlled area. The controlled area shall be under observation through out the exposure.

Trainers shall be made aware of radiation hazard and safety

Store TLD badge properly: After work, keep TLD badge at a common place identified by ASD which is away from radiation area. In case of any incident involving radiation source/device, inform Employer/RSO immediately.

Basic Radiation Safety in Industrial Radiography- Information for Auxiliary Staff

Issued by
Directorate of Regulatory Affairs and Communications
Atomic Energy Regulatory Board
(Government of India)
Hyattak Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai - 400014
Website: www.aerb.gov.in

- इण्डस्ट्रियल रेडियोग्राफी में कार्य करने वाले ऑक्जीलरी स्टाफ के लिए रेडिएशन सेफ्टी जागरूकता अभियान के तहत संरक्षा ट्रेनिंग पुस्तिका तैयार की गई है तथा इसे ईईआरबी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- उन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जिनके अधिकार क्षेत्र में उच्च तीव्रता वाली विकिरण सुविधाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ईईआरबी ने पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए विकिरण संरक्षा पर एक पाठ्यक्रम प्रदान किया और साथ ही उन्हें महाराष्ट्र के पब्लिक / इण्डस्ट्रियल एरिया में उच्च तीव्रता वाले स्रोत का प्रयोग करने वाली रेडिएशन फेसिलिटियों की सूची भी प्रदान की। पुलिस कर्मियों के लिए इस प्रकार का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 'रेडियोएक्टिव मैटेरियल की सुरक्षा' विषय पर महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ पुलिस, नासिक में दिनांक 5 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया जिसमें ईईआरबी के अधिकारियों ने भाग लिया तथा संबंधित विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। ईईआरबी ने पुलिस कर्मियों के लिए 'रेडियोएक्टिव मैटेरियल की सुरक्षा' विषय पर एक प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की है। यह प्रशिक्षण सूचना पहली बार महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ पुलिस, नासिक के डिसास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल का एक भाग बनी है।
- ईईआरबी ने डेंटल एक्स-रे उपकरणों के ऑपरेशन हेतु लाइसेंस के लिए रेग्युलेटरी प्रोसेस को अधिक सरल बनाने की शुरुआत कर दी है।

यूएसएनआरसी के साथ द्विपक्षीय सहयोग

ईईआरबी ने 08 से 10 अगस्त 2018 तक ईईआरबी मुंबई में यू.एस.न्यूक्लियर रेग्युलेटरी कमीशन (यूएसएनआरसी) के साथ 16वीं द्विपक्षीय बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में चार सदस्यीय डेलिगेशन ने भाग लिया जिसकी अध्यक्षता श्री माइकल जॉन कासे, डायरेक्टर, डिवीजन ऑफ सिस्टम एनेलेसिस, ऑफिस ऑफ न्यूक्लियर रेग्युलेटरी रिसर्च, एनआरसी ने की। ईईआरबी डेलिगेशन की अध्यक्षता श्री दिनेश कुमार शुक्ला, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईईआरबी ने की। ईईआरबी कर्मियों के अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) तथा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के एक्सपर्ट्स ने भी इस बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान स्पेंट फ्यूल पूल कूलिंग, एनपीपी को डीकमीशन करने से संबंधित नियम बनाना, पीएचडब्ल्यूआर तथा एलडब्ल्यूआर संयंत्रों के लिए दुर्घटना विश्लेषण, एनपीपी कंपोनेंट्स का इंटिग्रेटी असेसमेंट व नॉन डेस्ट्रक्टिव इवेल्यूएशन, लो-डोज रिसर्च तथा सोर्स ओवरसाइट व मरीजों की सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान, एनआरसी डेलीगेशन को काकरापार-1 व 2 एनपीपी में हुई प्रेशर ट्यूब लीकेज की घटना के बारे में जानकारी प्रदान की गई।



श्री डी.के.शुक्ला, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईईआरबी, यूएसएनआरसी टीम के साथ चर्चा करते हुए

विचार गोष्ठी

‘रेडियोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट एण्ड ऑपरेशनल इंटरवेंशन लेवल्स’ विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन

जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में भूकंप तथा सुनामी के कारण हुई नाभिकीय दुर्घटना तथा उसके पश्चात आई आपातकालीन परिस्थितियों ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं के रेडियोलॉजिकल प्रभावों तथा इनके परिणामस्वरूप आपातकालीन तैयारियों व प्रतिक्रियाओं (ईपीआर) की योजना बनाने व निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में आवश्यक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में विश्वभर में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट (एनपीपी) की संरक्षा के संबंध में होने वाली बहसों को पुनर्जीवित कर दिया।

ईईआरबी में, समीक्षा करने व रेग्यूलेशन बनाने का उद्देश्य होता है एनपीपी के डिजायन व एक्सीडेंट मैनेजमेंट योजनाओं को मजबूती प्रदान करते हुए उनकी संरक्षा बढ़ाना, ताकि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न हों अथवा इन परिस्थितियों द्वारा आम लोगों के बीच न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करते हुए इनसे निपटा जा सके। एनपीपी में होने वाली दुर्घटनाओं के रेडियोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट (आरआईए) के क्षेत्र में तथा एनपीपी में इमरजेंसी के दौरान प्रारंभिक समय में निर्णय लेने के लिए योजना बनाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आरआईए के लिए पद्धति को अपनाने तथा इमरजेंसी के लिए योजना बनाने में इसके उपयोग पर स्टेकहोल्डरों के विचारों को एकत्रित करने के लिए, ईईआरबी ने मुंबई में ‘रेडियोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट एण्ड ऑपरेशनल इंटरवेंशनल लेवल्स (ओआईएल)’ विषय पर 26 और 27 जून 2018 को दो दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया।

विचार गोष्ठी में आरआईए तथा इमरजेंसी तैयारियों के एक्सपर्ट्स द्वारा प्रजेंटेशन व व्याख्यान प्रस्तुत किए गए, इसमें ईईआरबी, बीएआरसी, आजीसीएआर तथा एनपीसीआईएल के एक्सपर्ट शामिल थे। इस विचार गोष्ठी में न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट्स, एनपीसीआईएल-मुख्यालय, भाविनी, बीएआरसी, आईजीसीएआर तथा ईईआरबी के प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा अपने दृष्टिकोण / विचार प्रस्तुत किए साथ ही संबंधित शंकाओं के समाधान भी प्रस्तुत किए।



आरआईए तथा ओआईएल पर विचार गोष्ठी के दौरान मंचासीन पदाधिकारीगण



आरआईए तथा ओआईएल पर आयोजित विचार गोष्ठी के प्रतिभागी

दिनांक 28 जून 2018 को 'कुडनकुलम परमाणु विद्युत इकाई 1 व 2 की संरक्षा समीक्षा में शामिल ए.सी.पी.एस.आर. एवं सहयोगी समूहों के फीडबैक अनुभव' विषय पर एक हिंदी गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें केकेएनपीपी 1 व 2 की संरक्षा समीक्षा में योगदान देने वाले व उसे कार्यान्वित करने वाले सभी विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया (इनमें आईआरबी, बीएआरसी तथा एनपीसीआईएल के अधिकारीगण शामिल थे)। आईआरबी के फाउंडर चेयरमैन प्रो. ए.के. डे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। श्री एस.के.मेहता, चेयरमैन एसीपीएसआर, एलडब्ल्यूआर#1 ने गोष्ठी में आधार व्याख्यान प्रस्तुत किया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर एक सारांश पुस्तिका 'केकेएनपीपी यूनिट 1 व 2 की संरक्षा समीक्षा' भी गोष्ठी में जारी की गई।



श्री एस.ए.भारद्वाज, चेयरमैन, आईआरबी तथा श्री डी.के.शुक्ला, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आईआरबी, हिंदी गोष्ठी के उद्घाटन सत्र में श्रोताओं को संबोधित करते हुए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

आईआरबी में दिनांक 21 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में आईआरबी के कार्मिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग गुरु जतिन देव ने 'तनाव प्रबंधन हेतु प्रज्ञा योग' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। व्याख्यान के पश्चात आईआरबी के कार्मिकों के लाभ हेतु शिथिलीकरण क्रिया तथा ध्यान सत्र का आयोजन किया गया।



आईआरबी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

होम पेज

देश में विस्तृत हो रहे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम तथा बढ़ती हुई रेडिएशन फेसिलिटियों को ध्यान में रखते हुए आईआरबी की मैनपावर में विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न चैनलों के माध्यम से बढ़ोत्तरी की जा रही है। आईआरबी की कुल अनुमोदित कार्मिक संख्या 468 है, तथापि वर्तमान में कुल कार्मिक संख्या 343 है जिनमें 283 वैज्ञानिक व तकनीकी कार्मिक तथा 60 कार्मिक प्रशासन / लेखा / सहायक स्टाफ के हैं। निम्नलिखित कार्मिकों ने जून-अगस्त, 2018 की अवधि के दौरान नियुक्ति प्राप्त की है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1	श्री दीपक सुरेश पदघन	ड्रायवर (सामान्य श्रेणी)	27-06-2018
2	श्री मोहम्मद सैफ उस्मानी	वै.अ.(सी)	01-08-2018
3	श्री वैभव जैन	वै.अ.(सी)	01-08-2018
4	श्री योगेश कुमार	वै.अ.(सी)	01-08-2018
5	श्री प्रमोद देवकर	ड्रायवर (सामान्य श्रेणी)	06-08-2018

फीडबैक

पाठकों / स्टैकहोल्डरों से मिलने वाले फीडबैक का हम स्वागत करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो हमें ईईआरबी फीडबैक पोर्टल पर प्रेषित करें।

ईईआरबी न्यूज़लेटर में प्रकाशित सामग्री को उचित स्वीकृति के साथ स्वतंत्र रूप से पुनः मुद्रित या अनुवादित किया जा सकता है। यदि किसी लेख का लेखक ईईआरबी स्टाफ में से नहीं है, तो समीक्षा के अलावा उस लेख को प्रकाशित करने की अनुमति लेखक या मूल संगठन से ली जानी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेख या सामग्री परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के विचारों या नीतियों का प्रतिनिधित्व करें।

संपादक

श्री के.श्रीवशिष्ठा, निदेशक, आरएण्डडीडी

डिजायनकर्ता

श्री वैभव घोलप, आरएण्डडीडी

संपादक समिति

श्री सत्यवान बंसल, श्रीमती उमा सर्मा, श्री एच.के.कुलकर्णी, श्री वी.वी.राउत, श्री सोमेन सिन्हा,
श्रीमती सोनल गाँधी, श्री एस.के.प्रधान, श्रीमती एम.वी.इनामदार, डॉ. एस.पी.लक्ष्मणन, श्री प्रवीण जे.पाटिल